न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 12/2017

वाद दायरी दिनांक : 29/06/2017

निर्णय दिनांक : 06/01/2021

रामचन्द्र पुत्र छीतर जाति माली निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादी

वाद घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
(अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 व 136 एल.आर.एक्ट)

उपस्थिति – श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 06/01/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 1136 के आराजी खसरा नम्बर 4142 रकबा 0.0900 हैक्टेयर वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जो वादी की कयशुदा आराजीयात है, खाता संख्या 1139 खसरा नम्बर 4116 रकबा 0.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 4118 रकबा 0.3800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 4121 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4123 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर वादी की कयशुदा आराजीयात है, खाता संख्या 1415 के खसरा नम्बर 3165, 3166, 3167, 3172, 3178, 3179, 3192, 3195 कुल किता 08 कुल रकबा 3.9700 हैक्टेयर खाता संख्या 1416 के खसरा नम्बर 3742, 3743, 3746, 3747, खाता संख्या 1140 के खसरा नम्बर 3180 लगायत 3190 व 3193, 3194 वाके गाम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

में स्थित है जिसका वादी मुताबिक जमाबंदी खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है तथा उक्त आराजीयत वादी को जरिये विरासत प्राप्त हुयी हैं। वादी को घर पर प्रेमवश व स्नेहपूर्वक दुलीचन्द पुकारा जाने के कारण सहवन से छीतर की विरासत खोली गयी जिसमे दुलीचन्द दर्ज कर दी गयी, जबकि वादी का वास्तविक नाम रामचन्द्र है तथा सरकारी दस्तावेजात में भी वादी का नाम रामचन्द्र ही दर्ज है तथा उक्त त्रुटिवश वादी की क्रयशुदा आराजीयात में भी वादी का नाम दुलीचन्द उर्फ रामचन्द्र ही दर्ज कर दिया गया। जो कि विधि अनुसार दुरूस्ती योग्य हैं तथा वादी अपनी राजस्व रिकार्ड में दर्ज दुलीचन्द को हजफ करवाया जाकर रामचन्द्र दर्ज करवाने का अधिकारी है। उक्त राजस्व रिकार्ड में हुयी त्रुटि के कारण वादी को राज्य सरकार से मिलन वाले अनुदानों में कठिनाई का सामना करना पड रहा है तथा उक्त हुयी त्रुटि के दुरूस्ती के बाबत तहसीलदार महोदय को निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में चाराजोंही की हिदायत दी गयी, इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादी ने उक्त त्रुटि दुरूसती हेतु तहसीलदार के यहां निवेदन किया तो तहसीलदार द्वारा इन्कार करते हुये न्यायालय में चाराजोही की हिदायत दी जिस कारण से श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद-पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर वाद-पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज दुलीचन्द को हजफ किया जाकर रामचन्द्र पुत्र छीतर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 28/11/2017 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28/02/2018 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 रामचन्द्र, पी.डब्ल्यू 2 गोरधन, पी.डब्ल्यू 3 अब्दुल रज्जाक के शपथ-पत्र पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये गये।

दिनांक 16/05/2019 को वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 11/11/2020 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। दिनांक 23/11/2020 को वकील वादी ने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

संशोधित वाद–पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधारकार्ड, पासबुक फोटो प्रति, राशनकार्ड, फोटो प्रति विकय–पत्र तथा साक्ष्य गवाहान एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "ग्राम मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 1136 व 1139 की भूमि रामचन्द्र उर्फ दुलीचन्द पि0 छीतर हि. मुताबिक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है जो कयशुदा है खाता संख्या 1415 व 1140 व 1416 में वादी का नाम क्रमशः दुलीचन्द उर्फ रामचन्द्र पि0 छीतर व दुलीचन्द पि0 छीतर के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त दोनों खातों की भूमि विरासत से प्राप्त हुई हैं। दुलीचन्द को हजफ किया जाकर रामचन्द्र पुत्र छीतर दर्ज करने पर राजकीय हित प्रभावित नही होने से कोई आपत्ति नही हैं।"

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 406 में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र छीतर, खाता संख्या 1136 में रामचन्द्र उर्फ दुलीचन्द पुत्र छीतर, खाता संख्या 1139 में रामचन्द्र उर्फ दुलीचन्द पुत्र छीतर, 1140 में दुलीचन्द पुत्र छीतर, 1415 में दुलीचन्द उर्फ रामचन्द्र पुत्र छीतर, खाता संख्या 1416 में दुलीचन्द पुत्र छीतर दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति ड्राईविंग लाईसेन्स, आधारकार्ड, पासबुक फोटो प्रति, राशनकार्ड, आदि में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र छीतर दर्ज हैं। उक्त आराजीयात वादी की कयशुदा एवं विरासत प्राप्त आराजीयात है, जिसमें वादी का कुछ खातों में बोलता नाम दुलीचन्द एवं कुछ खातों में रामचन्द्र दर्ज किया गया है, जबकि दस्तावेजों के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामचन्द्र होना पाया जाता हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामचन्द्र है, लेकिन सहवन से राजस्व कारकुनानों ने उक्त राजस्व अभिलेखों में रामचन्द्र के स्थान पर दुलीचन्द दर्ज किया जाना पाया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट से भी वादी के वाद की

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

ताईद होती हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 1136 के आराजी खसरा नम्बर 4142 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खाता संख्या 1139 की आराजी खसरा नम्बर 4116, 4118 4121, 4123 कुल किता 04 कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर, खाता संख्या 1415 के खसरा नम्बर 3165, 3166, 3167, 3172, 3178, 3179, 3192, 3195 कुल किता 08 कुल रकबा 3.9700 हैक्टेयर, खाता संख्या 1416 के खसरा नम्बर 3742, 3743, 3746, 3747, खाता संख्या 1140 के खसरा नम्बर 3180 लगायत 3190 व 3193, 3194 वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार वादी का नाम दुलीचन्द को हजफ कर उसके स्थान पर रामचन्द्र पुत्र छीतर दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा (सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू(जयपुर)
(फास्ट ट्रेक) दूदू

यूनिक ट्रेडर्स, 250, चौड़ा रास्ता, जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम ....

व अजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.) ....

रामचन्द्र पुत्र छीतर जाति माली नि. तहसीलदार तह. मौजमाबाद जिला जयपुर राज. मौजमाबाद तह. मौजमाबाद जिला- जयपुर राज. दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नं. 12/2017 सन् ....

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू अधि. श्री कन्हैयालाल माली ....

व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री पैरोकार सरकार

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता सं. 1136 के आराजी खसरा नम्बर 4142 रकबा 0.0900 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0900 हेक्टे; खाता सं. 1139 की आराजी खसरा नम्बर 4116, 4118, 4121, 4123 कुल किता 04 कुल रकबा 1.2100 हेक्टे; खाता सं. 1415 के ख. नं. 3165, 3166, 3167, 3172, 3178, 3179, 3192, 3195, कुल किता 08 कुल रकबा 3.9700 हेक्टे; खाता सं. 1416 के खसरा नं. 3742, 3743, 3746, 3747; खाता सं. 1140 के ख. नं. 3180 लगा. 3190 व →

डिग्री .... मवलिक .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख

वसूलियाब तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/01/2021 सन् .... को जारी किया गया।

दस्तखत .... (signature)

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

मोहर (seal: सहायक कलक्टर ...)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प दजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

डिक्री

रामचन्द्र बनाम तहसीलदार

दूदू

ACM-दूदू

12/2017

दि.- 06/01/2021

3193, 3194 वाके ग्राम मौजमाबाद तह-मौजमाबाद में दर्ज खातेदार वादी का नाम धुलीचन्द को हजफ कर उसके स्थान पर रामचन्द्र पुत्र छीतर दर्ज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू